न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/251

1. श्योपाल पुत्र चन्दर जाति गुर्जर निवासी पणदो तहसील विराट नगर, जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

–मुख्य रेस्पोडेंट

2. हनुमान पुत्र मुरली जाति गुर्जर निवासी पणदो तहसील विराट नगर, जिला जयपुर।
3. छीतर पुत्र चन्दा जाति गुर्जर निवासी पणदो तहसील विराट नगर, जिला जयपुर।
4. प्रकाश पुत्र फूला जाति अहीर निवासी भामोद तहसील विराट नगर, जिला जयपुर।
5. नारायणी देवी पत्नी श्योसहाय जाति गुर्जर निवासी पणदो तहसील विराट नगर, जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारखास छाजूराम पुत्र श्योसहाय जाति गुर्जर निवासी पणदो तहसील विराट नगर, जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर आदेश दिनांक 22.07.2021 मुकदमा संख्या 1/2021 उनवानी सरकार बनाम हनुमान व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–02.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 22.07.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 590/0.05 में से 0.05, 587/0.09 में से 0.09, 581/0.07 में से 0.07, 577/0.10 में से 0.10 है0 भूमि गैर मुमकिन

रास्ता दर्ज करने के संबंध में तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा प्रस्ताव अनुसार उक्त निजी खातेदारी की भूमि में से रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित कर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 22.07.2021 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर दिनांक 22.07.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 590, 587, 581, 577 भूमि के संबंध में तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। खसरा नम्बर 581 एवं 587 के अपीलांट काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता चन्दा पुत्र नारायण जो कि फौत हो चुके हैं। जिनको नोटिस जारी कर दिया गया तथा नोटिस की तामिल गलत तरीके से करके मृतक व्यक्ति के विरूद्ध तामिल मानी जाकर दिनांक 22.07.2021 को एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता पृथक से अंकन कर रास्ता दर्ज करने के पारित किये गये। जबकि पीडित खातेदार को फर्द मौका पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ नोटिस की प्रति भेजी जानी चाहिए थी। किसी खातेदार को यदि नये रास्ते की आवश्यकता हो तो वह रास्ते के सम्बंध में कानूनी प्रावधान 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने हेतू स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा बिना तारीख उल्लेख किये रिपोर्ट प्रस्तुत की है ना ही पटवारी हल्का द्वारा किस किस खसरा नम्बरान् के कौन कौन पीडित पक्षकार हैं। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 581 एवं 587 के बाबत आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित न्यायिक क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये अपीलार्थीगण प्रभावित भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया, ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरान् के संबंध में खातेदारों ने कोई सहमति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये हैं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी अवस्था में ऐसा आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता था इसलिये ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की तोहीन में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम तथा भू राजस्व अभिलेख नियम

58, 59, 60, 66, एंव 86 में वर्णित प्रावधानो तथा उन पर प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल निर्णय पूर्णत विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये पारित किया है जो पूर्ण रूपेण विधिक प्रक्रिया का उपहास है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक ने जो फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाई है वो एक पक्षीय रिपोर्ट है। अपीलार्थी के पिता श्री चंदाराम गुर्जर की मृत्यु भी दिनांक 29.10.2019 को हो चुकी थी फिर भी उनको नोटिस जारी कर दिया गया तथा नोटिस की तामिल गलत तरीके से करके मृतक व्यक्ति के विरूद्ध तामिल मानी जाकर दिनांक 22.07.2021 को एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2021 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार विराटनगर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता स्थाई, मौके पर चालू एवं सार्वजनिक आमजन के उपयोग में आ रहा है। उक्त रास्ते के संबध में ग्राम पंचायत भामोद से भी रिपोर्ट ली गई है। जि़समें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त रास्ता खसरा नम्बर 590, 587, 581, 577 में आम रास्ता के रूप में काम आ रहा है। यह रास्ता काफी पुराना है। उक्त रास्ते के संबंध में अन्य किसी खातेदार को भी कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रभावित खातेदारान् को नोटिस जारी किये गये हैं और अनुपस्थित रहने के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त भूमि की किस्म मौके अनुसार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के लिए उपलब्ध है ऐसे रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड

अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 22.05.2022 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा ग्राम भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 590, 587, 581, 577 के संबंध में तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर प्रभावित खातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित कर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 22.07.2021 को दिये गये हैं। चूंकि अपीलार्थी के पिता खसरा नम्बर 581 एवं 587 का रिकार्डेड खातेदार हैं अपीलार्थी के पिता श्री चंदाराम गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर की मृत्यु भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व हो चुकी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको नोटिस जारी कर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध तामिल मानी जाकर दिनांक 22.07.2021 को एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया एवं अपीलार्थी को कोई सुनवाई, सबूत, साक्ष्य एवं दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। विधिनुसार रिकार्डेड खातेदारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना उसकी खातेदारी की आराजी में से रास्ता कायम करना नैसर्गिक न्याय सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण विधिसम्मत् नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना उचित समक्षते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 22.07.2021 अपीलांट के खसरा नम्बर 581 एवं 587 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर रिकार्ड व मौके का सही अवलोकन करते हुये गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।